

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर

क्रमांक:- 66

दिनांक:- 28.02.2022

-: सूचना :-

माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के पत्रांक एफ7 (136/2)/रालसा /संस्था-संविदा सेवा/2021/644 दिनांक 07.12.2021 के निर्देशानुसार एवं इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी विज्ञापित क्रमांक 97/11.01.2022 एवं जारी सूचना क्रमांक 29 दिनांक 24.01.2022 द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर तथा अधीनस्थ तालुका विधिक सेवा समितियों में रिक्त कनिष्ठ सहायक के पदों हेतु सेवानिवृत्त कनिष्ठ सहायक की सेवाएं राजस्थान सरकार विधि विभाग की आज्ञा संख्या प.08 (1) विधि-2/विरस (64)/2015 पार्ट/114 दिनांक 22.04.2021 के अनुसरण में समेकित परिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति पर दिनांक 31.03.2022 तक अथवा रिक्त पदों के नियमित भर्ती होने तक जो भी पहले हो अथवा कर्मचारी की 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो की कालावधि के लिए सेवाएं लिए जाने हेतु इच्छुक सेवानिवृत्त कर्मियों के आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे। उक्त पद के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि दिनांक 15.03.2022 तक बढ़ाई जाती है। शेष नियम, शर्तों पूर्व में जारी विज्ञापित अनुसार यथावत् रहेंगे।

सचिव

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
सीकर (राज0)

क्रमांक:- 68

दिनांक:-28.02.2022

1. श्रीमान अध्यक्ष महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर
2. श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, सीकर।
3. श्रीमान जिला कलक्टर, सीकर को समस्त विभागों में सूचित करने हेतु।
4. सीकर न्यायक्षेत्र के समस्त न्यायालयों को जरिये ई-मेल नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
5. जिला जनसंपर्क अधिकारी, सीकर।
6. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, सीकर को कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. नोटिस बोर्ड, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर

सचिव

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
सीकर (राज0)